



क.रा.बी.नि.  
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय] भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE  
CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Govt.  
of India)



मुख्यालय/HEADQUARTER

पंचदीप भवन] सीआईजी मार्ग] नई दिल्ली-110002  
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi-02  
Phone: 011-23234092, VOIP: 10011067  
Email: [estt6-hq@esic.nic.in](mailto:estt6-hq@esic.nic.in)  
Website: [www.esic.nic.in](http://www.esic.nic.in) / [www.esic.in](http://www.esic.in)

मि. सं.डी-12/16/9/2019-स्था।VI

Dated : 29/03/2022

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय निदेशक /निदेशक(चि.) दिल्ली एवं नोएडा / चिकित्सा अधीक्षक,  
कराबी निगम क्षेत्रीय कार्यालय /आदर्श चिकित्सालय / व्यवसायिक रोग केंद्र,

विषय :	पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर सदस्यों को ESIC-PMS-2006-के Revised Guidelines अंतर्गत समुचित चिकित्सा सेवा के उपलब्धता हेतु जारी आदेशों / अनुदेशों के सम्पूर्ण अनुपालना बाबत ।
सन्दर्भ :	चिकित्सा शाखा-V (मु.) के पत्र संख्या F.No.U-25/12/Misc/2020-Med.V P-1 दिनांक 20/03/2020.

महोदया/महोदय,

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनरों को सेवानिवृत्त उपरांत ESIC-PMS-2006 योजना के तहत चिकित्सा सेवा उपलब्ध हैं और इस संदर्भ में मुख्यालय द्वारा अनेकानेक आदेश/अनुदेश समय समय पर जारी किए गए हैं।


इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि चिकित्सा शाखा-V द्वारा जारी पत्र संख्या F.No.U-25/12/Misc/2020-Med.V P-1 दिनांक 20/03/2020 (प्रति संलग्न ) जिसके द्वारा निगम के चिकित्सा लाभाधिकारियों को COVID-19 महामारी के मद्देनजर कम अंतराल पर चिकित्सालयों में विजिट को कम करने के लिए गंभीर बीमारियों हेतु औषधि जारी करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गए हैं, उक्त दिशा निर्देश निगम के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनरों के लिए भी लागू होंगे ।

साथ ही अनुरोध है कि इस कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी आदेशों / अनुदेशों का अक्षरशः पालन किया जाये, जिससे पेंशनभोगियों को परेशानी ना हो। उन आदेशों / अनुदेशों को आप अपने अधीनस्थ कार्यालयों के मध्य भी उनकी जानकारी एवं कार्यान्वयन हेतु अपने स्तर पर प्रचालित करें।

इस कार्यालय द्वारा इस संदर्भ में जारी किए गए सभी आदेश/अनुदेश निगम के वैबसाइट [www.esic.nic.in](http://www.esic.nic.in) पर under drop down "Information" → "ESIC Pensioners" पर उपलब्ध हैं।

यह बीमा आयुक्त (स्था.6) की सहमति से जारी किया जाता है ।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,  
  
( पंकज कुमार )  
उप निदेशक(स्था.VI)

प्रतिलिपि: वैबसाइट सामग्री प्रबन्धक, क.रा.बी. निगम (मु.) को निगम वैबसाइट पर पोस्ट करने हेतु ।



**HQRS. OFFICE**  
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**  
**PANCHDEEP BHAWAN: C.I.G. ROAD: NEW DELHI – 110-002**  
Tel/Fax: 011-23234334, E-mail: [dmc-rc@esic.nic.in](mailto:dmc-rc@esic.nic.in)  
(An ISO-9001:2008 Certified)

No. F.No. U-25/12/Misc/2020-Med V P-I

Dated: 20.03.2020

To,

- Director(Med.)Delhi / Noida
- Dean / Medical Superintendent - All ESIC Hospitals/ Medical College
- Directors ESI Schemes - All states

**Sub: To reduce frequent visits of patients in view of COVID 19 pandemic-reg.**

Madam/Sir,


In reference of the above cited subject, I am directed to inform you that in view of the COVID 19 pandemic, as a preparatory initiative to reduce the crowding & exposure of patients by frequent visits in hospital OPDs, Specialists of all ESIC / ESIS hospitals are advised to prescribe medicines to patients suffering from chronic diseases like Diabetes, Hyper tension, Coronary artery disease, arthritis etc. for three months.

The dispensaries may also be directed to issue the medicines on a monthly basis to such patients and avoid unnecessary referrals to the hospitals.

**In view of the above, you are requested to take necessary action.**

This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully,

  
(Jai Singh)

**Assistant Director(RC)**

Copy for information to:-

1. PS to DG, FC, MC.
2. Pranava Kumar, Dy. Director (PR) e-mail [pranava.kumar@esic.in](mailto:pranava.kumar@esic.in) for uploading on ESIC website
3. Hindi Division for translation.
4. Guard file.

  
**Assistant Director(RC)**